

पीठासीन अधिकारी :- मुकेश चौधरी, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र :- 34/2025

GCMS NO- 2025/55

उनवान - रोहिताश्व पुत्र रामेश्वर लाल जाति गुर्जर निवासी ढाणी सिलाटी तन मण्डाना
तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं।

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी

अधिवक्ता प्रार्थी - श्री रामसिंह अवाना

आदेश

निर्णय दिनांक 14.10.2025

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र, आधार कार्ड (रोहिताश्व), आरसी की फोटोप्रति, ड्राईविंग लाईसेंस, ग्राम पंचायत कालोटा का प्रमाण पत्र तथा तहसीलदार खेतड़ी के क्रमांक भू.अ./25/1698 दिनांक 09.07.2025 के द्वारा स्पष्ट अभिशंषा के आधार पर, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम मण्डाना पटवार मण्डल कालोटा की जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 के खाता सं. 154 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार खेतड़ी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते ह। खाते की शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। रहन यदि कोई हो तो रहन मुक्त होने पर ही आदेश का अमल दरामद हो।

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	मण्डाना	खाता संख्या 154 किता 9 कुल रकबा 4.69 है.	रोहिताश पुत्र रामेश्वर	रोहिताश्व पुत्र रामेश्वर लाल

(मुकेश चौधरी)

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
दिनांक :- 14.10.2025

क्रमांक :- राजस्व/2015/314
प्रतिलिपि :-

- तहसीलदार खेतड़ी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
- रोहिताश्व पुत्र रामेश्वर लाल जाति गुर्जर निवासी ढाणी सिलाटी तन मण्डाना तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर, खेतड़ी

